

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए  
जीईएम पोर्टल

4953. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने मूल उपकरण निर्माता की पद्धति शुरू करके छोटे व्यापारियों को जीईएम पोर्टल से माल की आपूर्ति करने से रोक दिया है, जिसमें भूल निर्माता केवल जीईएम पोर्टल से माल बेच सकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) पद्धति के लागू होने से छोटे आपूर्तिकर्ता अपना कारोबार नहीं कर पा रहे हैं तथा जीईएम प्रणाली में उन्हें समस्या आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) छोटे व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने छोटे व्यापारियों को जैम पोर्टल से माल की आपूर्ति करने से नहीं रोका है। उत्पादों की 10,870 श्रेणियों (कुल 11,020 लाइव श्रेणियों में से) में, पुनःविक्रेता जैम के माध्यम से माल की आपूर्ति कर सकते हैं केवल लगभग 150 श्रेणियों (जो मुख्य रूप से कुछ जीवनरक्षक औषधियों और फार्मास्युटिकल उत्पादों, चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, दवाओं, मोटर वाहनों से संबंधित हैं) में, पुनःविक्रेताओं को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। जैम ने लघु और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सहयोग करने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. प्रत्यक्ष खरीद/खरीद के एल1 मोड में महिला उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पाद कैटलॉग को अलग करने के लिए मार्केटप्लेस फिल्टर और उत्पाद कैटलॉग आइकन का प्रावधान करना।
- ii. जमानत राशि के भुगतान से छूट।

- iii. 8 “#वोकल फॉर लोकल” जीईएम आउटलेट स्टोर के सृजन के माध्यम से महिलाओं, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) आदि के लिए अग्रिम बाजार लिंकेज,
- iv. जीईएम प्लेटफॉर्म पर 2-चरणीय विक्रेता ऑटो-पंजीकरण के लिए उद्यम एमएसएमई डेटाबेस के साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण,
- v. उद्योग, सरकारी और गैर-लाभकारी क्षेत्र के अन्य संगठनों के साथ मुख्य संगठनों नामतः लघु उद्योग भारती, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ), स्वरोजगार महिला एसोसिएशन (सेवा) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से कार्यनीतिक संबंध ।
- vi. भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)/इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड (आईईएलएम) में आयोजित उद्योग प्रदर्शनियों, मेलों, रोड शो और कार्यक्रमों आदि में भागीदारी करना ।
- vii. विक्रेताओं की इमर्सिव ऑनबोर्डिंग (पोर्टल पर विक्रेता पंजीकरण से लेकर उत्पाद सूची अपलोड तक), संभावित विक्रेताओं के बीच रुचि और सहभागिता बढ़ाने के लिए विक्रेताओं की सफलता की कहानियों को सूचीबद्ध करना।

(ख) से (घ): उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*